

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम- निम्बाहेडा (राज०)

प्रकरण संख्या पत्थरगढी 103 /2022

दिनांक:- 23-5-22

बगदीबाई पत्नी शम्भूलाल जी जाति मेघवाल उम्र वयस्क निवासी  
कोटडीकलां तह० निम्बाहेडा राज०

.....प्रार्थीया

//बनाम//

1. अम्बालाल पिता गोपी जी जाति मेघवाल उम्र वयस्क निवासी  
कोटडीकलां तह० निम्बाहेडा राज०
2. देवीलाल पिता पन्ना जी जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी  
कोटडीकलां तह० निम्बाहेडा राज०
3. गोपालदास पिता अम्बादास जी जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी  
कोटडीकलां तह० निम्बाहेडा राज०
4. कैलाश पिता प्रभूलाल जी जाति सुथार उम्र वयस्क नि० कोटडीकलां  
तह० निम्बाहेडा राज०
5. रघुनाथ पिता सवा जी जाति मेघवाल उम्र वयस्क निवासी  
कोटडीकलां तह० निम्बाहेडा राज०

.....विपक्षीगण


कार्यवाही धारा 128 रा०ले०रे०एक्ट

प्रेषिति- श्री तहसीलदार, तहसील निम्बाहेडा राज०

जो कि प्रार्थीया ने न्यायालय हाजा में अपनी खातेदारी की आराजीयात वाके मोजा कोटडीकलां प०ह० कोटडीकलां तह० निम्बाहेडा में खाता सं० 191 की आराजी नं० 1019/920 रकबा 0.1000 हेक्टर एवं आ०नं० 1020/921 रकबा 0.4000 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.5000 हेक्टेयर स्थित हैं। इस आशय की पत्थरगढी पेश की। साथ में नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस पेश की। पत्रावली का अवलोकन कर उस पर विश्वास करते हुए आपको जरिये हुक्मनामा आदेशित किया जाता है कि आप पक्षकारान को सूचित कर मौके पर पहुँच कर बिना किसी के कब्जे में दखलअन्दाजी किए आराजी की पत्थरगढी कर सीमा चिन्ह रोपे व फिस पत्थरगढी रूपया 500/- प्रार्थीया से वसूल कर राजकोष में जमा करावें। पालना रिपोर्ट न्यायालय में दिनांक को पेश करें।

यह हुक्मनामा आज दिनांक 23-5-22 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय के जारी किया गया।



  
उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा राज०  
उपखण्ड अधिकारी  
निम्बाहेडा (पिस्तौहणक)